कि प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादी के स्वामित्व एवं कब्जे कब्जे की भूमि खसरा नम्बर 924 रकबा 1.2700 है0 वाके ग्राम महापुरा में किसी तरह के माने मजाहमत न तो स्वयं करे न अन्य से करावे । ओर नाही मौके से बेदखल करें।

वादी द्वारा वाद जरिये वकील प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र को बाद जाँच नियमानुसार दर्ज किया गया एवं प्रतिवादी की तामीली हेतु सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादी का जवाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया तनकीयात कायम की गयी।

उभयपक्षों की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

वादी जिस खसरे/भूमि पर कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त करना चाहता है उसकी किस्म चारागाह है जिसकी किस्म परिवर्तन व्यक्ति विशेष (सार्वजनिक हितार्थ नहीं) के लिए करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है एवं साथ ही चारागाह भूमि की किस्म परिवर्तन का क्षेत्राधिकार (राजस्थान काश्तकारी राजकीय नियम 1955 के नियम 7 के अनुसार) जिला कलेक्टर के पास होता है।

आवंटन नियमों के अनुसार स्पष्ट है कि आवंटी को जहाँ आवंटन हुआ है केवल वहीं खातेदारी दी जा सकती है अन्यत्र नहीं और वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि वादी को आवंटन वहाँ हुआ था जहाँ वो आज काबिज है। आवंटन बडे रकबे में से हुआ था एवं तरमीम के अभाव में यह कहना अनुचित होगा कि वादी का आवंटन वहीं हुआ था जहाँ वह आज काबिज है। केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी दिया जाना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के आधार पर यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होता कि वादी का वाद स्वीकार किया जाये । अतः न्यायहित में वादी का वाद खारिज किया जाता है एवं पत्रावली फैसल की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 07.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2023.08.17 14:49:02 IST
Reason: SelfAttested